श्री हनुमान मन्दिर जाखु के लेखों में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का पैरावार संक्षिप्त सार :–

क्रमांक संख्याः	पैरा का विवरण	पैरा संख्या
1	₹3,20,000/–के मुल्य की वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना।	8
2	₹1,36,682/–का बिजली के बिल का त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित भुगतान।	9
3	₹82,165/– मुल्य के फूलों के पौधों का अनियमित भुगतान।	10
4	₹32,400/– का अनुपयोगी व्यय।	11
5	₹3,600/– रोकड़ बही में अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से कम करना।	12
6	₹10,000/–के अग्रिम को विलम्ब से समायोजित करना।	13

श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01.01.2004 से 31.12.2010

भाग—एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/84 से 03/97 :—

उपरोक्त अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसे निरस्त किया गया है।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2000 :—

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 16	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24	अनिर्णीत

21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत

(ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2001 से 31.12.2003</u>

1	पैरा 3	निर्णीत	
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन के पैरा सं0 4 में समाविष्ट की गई है।)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	निर्णीत	(प्रस्तुत किए गए उत्तर के दृष्टिगत)
14	पैरा 16	निर्णीत	(ब्याज रोकड़ बही में दर्ज करने पर)
15	पैरा 17	निर्णीत	(प्रस्तुत किए गए उत्तर के दृष्टिगत)
16	पैरा 18	निर्णीत	(अपेक्षित रजिस्टर तैयार कर लिया गया है)
17	पैरा 19	निर्णीत	(अपेक्षित रजिस्टर तैयार कर लिया गया है)
18	पैरा 20	अनिर्णीत	
19	पैरा 21	अनिर्णीत	
20	पैरा 22	अनिर्णीत	
21	पैरा 23	अनिर्णीत	
22	पैरा 24	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 6 में समाविष्ट की गई है)

<u>भाग–दो</u>

2 <u>वर्तमान अंकेक्षण</u> :–

श्री हनुमान मन्दिर न्यास, जाखु (शिमला) के अवधि 01.01.2004 से 31.12.2010 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल कुमार मेहरा, श्री कृष्ण लाल नेगी (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) व श्री हितेश शर्मा आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 16.07.2011 से 11.08.2011 तक किया गया। माह 04/2004, 09/2005, 07/2006, 09/2007, 06/2008, 07/2009 व 05/2010 की आय व माह 12/2004, 03/2005, 03/2006, 07/2007, 01/2008, 06/2009 व 06/2010 के व्यय लेखों का विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन व वित्तीय स्थिति को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संस्था द्वारा उपलब्ध न करवाई गई सूचनाओं अथवा गलत सूचना देने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अपितु अंकेक्षण का दायित्व केवल उक्त चयनित मासों तक ही सीमित है।

<u>अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न सचिव/मन्दिर अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं आयुकत कार्यरत रहे</u> :–

<u>आयुक्त</u> :–

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री एस0के0वी0एस0 नेगी	01.01.2004 से 23.05.2006
2	श्री तरूण कपूर	24.05.2006 से 18.01.2008
3	श्री जे0एस0 राणा	19.01.2008 से 02.03.2010

<u>सहायक आयुक्त</u> :–

1	श्री राकेश शर्मा	01.01.2004 से 08.05.2006
2	श्री जी0सी0 नेगी	09.05.2006 से 02.02.2009
3	श्री आशीश कोहली	08.04.2009 से 12.12.2010

<u>मन्दिर अधिकारी</u>

1	श्री जी0सी0 नेगी	01.01.2004 से 15.09.2005
2	श्री एम0आर0 शर्मा	02.03.2006 से 24.03.2008
3	श्री एम0आर0 भारद्वाज	25.03.2008 से 31.12.2010

3 **अंकेक्षण शुल्क** :–

अवधि 01.01.04 से 31.12.10 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹24,000.00 बनता है। अंकेक्षण दल के पत्र संख्या 124–ए/ऑडिट–2010–2011, दिनांक 12.08.2011 द्वारा मन्दिर प्राधिकारी से उपरोक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति** :–

(क) अवधि 01.01.04 से 31.12.10 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आय	ब्याज की प्राप्त	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2004	11,92,111.36	15,93,621.00	47,738.00	28,33,470.36	17,60,094.00	10,73,376.36
2005	10,73,376.36	21,32,125.00	35,135.00	32,40,636.36	32,00,595.00	40,041.36
2006	40,041.36	17,67,310.00	6,566.00	18,13,917.36	15,56,435.00	2,57,482.36
2007	2,57,482.36	27,44,861.00	9,232.00	30,11,575.36	21,63,273.00	8,48,302.36
2008	8,48,302.36	20,69,511.00	1,647.00	29,19,460.36	19,33,759.00	9,85,701.36
2009	9,85,701.36	28,13,105.00	20,552.00	38,19,358.36	15,46,977.00	22,72,381.36
2010	22,72,381.36	39,10,707.00	86,181.73	62,69,270.09	23,57,794.36	39,11,475.73
		(+) 1,40,827	**(+) 461**	**1,41,288.00**	**94,541.00**	**46,747.00**
					कुल योग	**₹39,58,222.73**

दिनांक 31.12.2010 को जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :–

(1) इण्डस इण्ड़ बैंक बचत खाता संख्याः 0185132776001 में जमा राशि — 19,11,475.73

(2) आई0सी0आई0सी0आई बैंक बचत खाता संख्याः 635301009043 — 46,747.00

(3) सावधि जमा :–

(क) शिमला अर्बन को0आ0 बैंक खाता सं0 1486/1, दिनांक 25.09.2010 एक वर्ष के लिए सावधि जमा — 10,00,000.00

(ख) विजया बैंक शिमला खाता संख्या 102693066, दिनांक 25.09.2010 एक वर्ष के लिए सावधि जमा — 10,00,000.00

कुल योग — **39,58,222.73**

इस प्रकार वित्तीय स्थिति अनुसार शेष व वास्तव में जमा राशि में कोई अन्तर नहीं है।

5 **निवेश** :–

श्री हनुमान मन्दिर, जाखू की रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः 9 व 10 दिनांक 25.09.2010 के अनुसार शिमला अर्बन को0आ0 बैंक खाता संख्याः 1486/1, दिनांक 25.09.2010 व विजया बैंक, शिमला के सावधि जमा खाता संख्याः 102693066, दिनांक 25.09.2010 प्रत्येक में ₹10,00,000.00 (₹10/–लाख) की राशि एक वर्ष के लिए सावधि जमा में निवेश की गई है, जिसकी परिपक्वता पर क्रमशः ₹78,194.00 व 74,495.00 ब्याज अर्जित होगा। उक्त सावधि निवेशों की परिपक्वता पर इनका रोकड़ बही में ब्याज सहित लेखांकन तथा आवश्यकतानुसार लम्बी अवधि के लिए पुनर्निवेश किया जाए ताकि मन्दिर न्यास में ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त उक्त निवेश से स्पष्ट होता है कि शिमला अर्बन को–आप्रेटिव बैंक द्वारा विजया बैंक की तूलना में ₹10/–लाख के एक वर्ष के लिए एक ही तिथि को सावधिक निवेश पर ₹3699/–(₹78194 (–) ₹74495) का अधिक ब्याज दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि उक्त समस्त राशि शिमला अर्बन को–ओपरेटिव बैंक में निवेश की जाती तो मन्दिर न्यास को ₹3699/–की अतिरिक्त आय प्राप्त होती। लेकिन इस सन्दर्भ में विवके से निवेश न किए जाने के परिणामस्वरूप न्यास को सीधे तौर पर ₹3699/–की हानि हुई है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस हानि को उचित स्त्रोत से भरपाई सुनिश्चित की जाए।

6 **सोना चांदी की लेखा स्थिति** :–

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए सोना–चांदी के रजिस्टर (स्टॉक रजिस्टर) में 31.12.2010 तक सोने का अन्तिम शेष 324.341 ग्राम व चांदी का अन्तिम शेष 27.256.800 किलोग्राम था जिसका विवरण क्रमशः परिशिष्ट (क) व (ख) में दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 22.07.2004 में पूर्व सोने/चांदी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अभिलेख अर्थात स्टॉक रजिस्टर आदि न तो तैयार किया गया था न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 22.07.2004 को मन्दिर अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया तथा मन्दिर में रखे गए सोने/चांदी का तोल किया गया तथा तोले गए सोने का भार/वज़न 203.200 ग्राम व चांदी का भार 3,753.800 ग्राम पाया गया जिसे जिला कोषागार में जमा करवाया गया है तथा इसे वर्ष 2004 में आरम्भिक शेष मान कर बाद में प्राप्त सोने/चांदी को स्टॉक में दर्ज किया गया है। परिशिष्ट 'क' व 'ख' में दर्शाई गई सोने व चांदी की मात्रा क्रमशः 324.341 ग्राम व 27.256.800 किलोग्राम जिला कोषागार में जमा की गई है।

7 **मन्दिर कर्मचारियों के वेतन व भत्ते** :—

मन्दिर अधिग्रहण के समय मन्दिर में कर्मचारियों की संख्याः 6 थी तथा वर्ष 2005 तक भी कर्मचारियों की संख्याः 6 ही थी। वर्ष 2006 में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ौतरी की गई तथा कर्मचारियों की संख्याः 9 हो गई है तथा वर्तमान में भी कर्मचारियों की संख्याः 9 ही है। नए नियुक्त किए गए तीन कर्मचारियें के सम्बन्ध मे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। न्यास द्वारा कर्मचारियों की संख्याः में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन व भत्तों के रूप में की जा रही अदायगी का न्यास की आय/बजट पर पड़ने वाला अनुपात्तिक दायित्व निम्नलिखित था :—

वर्ष	आय	वेतन पर व्यय	आय का प्रतिशत भाग
2004	16,41,359.00	1,48,800.00	9.06%
2005	21,67,260.00	1,69,200.00	7.80%
2006	17,73,876.00	3,33,600.00	18.80%
2007	27,54,093.00	3,76,200.00	13.65%
2008	20,71,158.00	3,33,600.00	16.10%
2009	28,33,657.00	5,67,600.00	20.03%
2010	41,38,176.00	5,67,600.00	13.71%

वर्तमान परिस्थितियों में न्यास की आय के दृष्टिगत वेतन व भत्तों का भुगतान भविष्य में न्यास की आय में से किया जाना सम्भव रहेगा तथा वेतन आदि के लिए सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता/अनुदान राशि प्राप्त नहीं की गई है।

8 **₹3,20,217/—के मुल्य की वस्तुओं/स्टॉक का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना** :—

श्री हनुमान मन्दिर न्यास, जाखू के लेखावधि 01/2004 से 12/2010 के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर द्वारा समय—समय पर खरीदी जा रही वस्तुओं, विशेषता पूजा सामग्री, भोग व बन्दरों के लिए आनाज़ आदि का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष में व्यय हेतु चयनित माह में ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिनमें खरीदे गए स्टॉक/वस्तुओं का इन्द्राज वस्तुवार/तिथिवार व इनका उपयोग हेतु जारी किया जाना नहीं दर्शाया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। उदाहरणार्थ ऐसे कुछ प्रकरण नीचे दिए गए हैं:—

भुगतान की तारीख	जिसे भुगतान किया गया	खरीदी गई वस्तुओं का विवरण	मूल्य	जिसके माध्यम से भुगतान किया गया
15.12.2004	मैं0 हिरा लाल सालिग राम लोअर बाजार शिमला	पूजा सामग्री	3071.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 शिवान क्लाथ हाऊस	ड्रैस/युनिफार्म	3165.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 कालरा हार्डवेअर एण्ड इलैक्ट्रिक स्टोर	रूम हीटर 1नं0	711.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3149.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	भोग का राशन	3803.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3179.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	भोग का राशन	3803.00	तहसीलदार (शहरी)
	मैं0 ठाकुर जनरल स्टोर	माह 10/2004 भोग के लिए दूध	1116.00	तहसीलदार
	मैं0 विनीत मैस ऐजैन्सी	गेस सिलैण्डर 2 नं0	573.10	तहसीलदार
	मैं0 विनीत गैस ऐजैन्सी	गैस सिलैण्डर 2 नं0	613.10	तहसीलदार
23.12.2004	मैं0 सागर पेन्टर, शिमला	पांच कलर शीट हेतु	2500.00	तहसीलदार
	मै0 अमीन चन्द ईश्वर दास	सेनेटरी वस्तुओं हेतु	895.00	तहसीलदार
	मै0 अमीन चन्द ईश्वर दास	सेनेटरी वस्तुओं हेतु	726.00	तहसीलदार
	मैं0 अमेरिकन रेडियो	इलैक्ट्रिकल बल्व व टयूब	608.00	तहसीलदार
	मैं0 कृष्णा लोहा भण्डार	सेनेटरी वस्तुऐं/ पुटीन व सीसा	125.00	तहसीलदार

	मैं0 कमल गारमेन्टस	तरपाल	1100.00	तहसीलदार
	मैं0 डवैकिजोस	ड्राई फ्रूटस	1685.00	तहसीलदार
09.03.2005	मैं0 हिरा लाल सालिग राम	राशन भोग आदि के लिए	3803.00	तहसीलदार
	मैं0 हिरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3179.00	तहसीलदार
14.03.2005	मैं0 वर्धन कॉर्पोरेशन	मोमैन्टो 3 नं0	3500.00	तहसीलदार
29.03.2005	मैं0 विपुल ट्रेडर्स	चार कोल	608.00	तहसीलदार
	मैं0 हिरा लाल सालिग राम	राशन भोग	3803.00	तहसीलदार
	मैं0 हिरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3179.00	तहसीलदार
	मैं0 अमेरिकन रेडियो	टयूब पट्टी	220.00	तहसीलदार
	मैं0 अमेरिकन रेडियो	टयूब रोड	360.00	तहसीलदार
29.03.2005	मैं0 हिमाचल प्रदेश कला, भाषा एवं संस्कृतिक अकादमी शिमला	कैसेटस 500 नं0	32400.00	तहसीलदार
05.07.2007	मैं0 हिरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3502.00	तहसीलदार
	मैं0 हिरा लाल सालिग राम	राशन भोग	3250.00	तहसीलदार
	मैं0 ट्रांसवर्ल्ड मार्केटिंग एण्ड मनेजमैंट	कारपेट	3423.00	तहसीलदार
	मै0 गनपति चौधरी सेल्ज़ कॉरपोरेशन		3160.00	तहसीलदार
01/2008	श्री भीम सेन शर्मा, मण्डी	मक्की 101 क्विंटल	126250.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3373.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	राशन भोग सामग्री	3169.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	राशन व पूजा सामग्री	2421.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	9858.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	राशन भोग सामग्री	6384.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	राशन	3156.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	3366.00	तहसीलदार

	मैं0 वेस्ट कोल कम्पनी	चारकोल 3 क्विंटल	4200.00	तहसीलदार
	मै0 गुप्ता इलैक्ट्रिकल	हीटर	260.00	तहसीलदार
	मैं0 कृष्णा लोहा भण्डार	ताले 4 नं0	1000.00	तहसीलदार
	मै0 अजीत आर्ट स्टूडियो	साईन बोर्ड	3660.00	तहसीलदार
	मै0 अमेरिकन रेडियो	लैम्प/बल्ब	300.00	तहसीलदार
30.06.2009		सी0सी0बी0वी0कैमरा	33000.00	तहसीलदार
	मैं0 हर किशन लाल खन्ना	कपड़ा	5545.00	तहसीलदार
	मै0 संजीव कुमार सुनील कुमार	फुट मैट	3375.00	तहसीलदार
01.06.2010	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	राशन भोग प्रसाद	3298.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	राशन भोग प्रसाद	2288.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	5165.00	तहसीलदार
	मैं0 हीरा लाल सालिग राम	पूजा सामग्री	4940.00	तहसीलदार
			₹320217.00	

उपरोक्त दर्शाई गई वस्तुऐं/मूल्य केवल वर्ष में अंकेक्षण हेतु चयनित माह के ही शामिल है इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि गत वर्षों में अंकेक्षण अवधि दौरान खरीदे गए समस्त सामान व तत्सम्बन्धी उपयोग के अभिलेख तैयार कर व सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य में समय–समय पर खरीदे गए सामान की भण्डारण रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज करके तत्सम्बन्धी उपयोग का भी समय–समय पर इन्द्राज करके नियमानुसार उचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

9 **₹1,36,682/–का त्रुटि पूर्ण एवं अनुचित भुगतान** :–

बिजली के मीटर संख्याः डी0एस0एन0 2000101 के बिल संख्याः 4765782, दिनांक 02.03.2005 हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को ₹1,36,682/–का भुगतान किया गया था। बिल से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त मीटर का प्रयोग मैं0 मोबाईल कोम0 कम्पनी द्वारा किया गया था, जिसे मन्दिर न्यास जाखु द्वारा एक कमरा/हॉल किराये पर दे रखा था। अंकेक्षण को बताया गया कि उपरोक्त मीटर से विद्युत का प्रयोग केवल मैं0 मोबाईल कोम कम्पनी द्वारा अपनी गतिविधियाँ चलाने हेतु ही किया गया था इस प्रकार बिजली के बिल का भुगतान भी उक्त फर्म द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त

सन्दर्भ में यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि किराये का कमरा/हॉल जिसके लिए उक्त मीटर लगाया गया था, से सम्बन्धित पूर्व के समस्त बिलों का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा ही किया गया था। परन्तु उपरोक्त फर्म द्वारा अचानक अपना काम काज बन्द कर देने के फलस्वरूप कुछ महिनों का किराया भी मन्दिर न्यास को नहीं दिया गया था तथा न ही बिजली का बिल जमा करवाया गया था। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा बिजली के बिल ₹1,36,682/–की भारी भरकम राशि का भुगतान करना अनियमित है व मन्दिर न्यास पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ पड़ा है। मन्दिर प्राधिकारियों को इस प्रकरण में सम्बन्धित फर्म के जहां–तहां का पता करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना चाहिए था तथा बिजली विभाग को भी उचित कार्रवाई हेतु सतर्क किया जाना वांछित था। लेकिन इस प्रक्रिया में मन्दिर न्यास के स्तर पर ढील बरता जाना प्रतीत होता है। अतः उक्त अनियमित भुगतान का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत या चूककर्त्ता कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है तथा की गई कार्यवाही से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 **₹82,165/–मुल्य के फूलों के पौधों अन्य पौधों की अनियमित खरीद** :–

मन्दिर न्यास, जाखू के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मैं0 हार्टिकल्चर ट्रेडिंग कम्पनी कालिम्पोंग, पश्चित बंगाल को दिनांक 24.02.2006 को ₹72,165/– + ₹10,000/–अग्रिम कुल ₹82,165/–की राशि पौधों की खरीद हेतु जारी की गई थी। प्रस्तुत किए गए अभिलेख की विस्तृत जाँच पड़ताल करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :–

(क) पौधों को खरीदने से पहले स्थानीय बाज़ार में वांछित खरीदे गए पौधों के सम्बन्ध में दरें आदि प्राप्त नहीं की गई थी तथा न ही किसी प्रकार की निविदायें प्राप्त की गई थी जिससे प्रतीत होता है कि बाज़ार प्रति स्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था। अतः खरीदे गए पौधों के सम्बन्ध में न्यूनतम दर पर खरीद का सत्यापन नहीं किया जा सका। निविदायें मंगवाये बगैर खरीद करना सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों की अवहेलना है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व इस अनियमितता का सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुकूलन करवायें व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ख) पौधों की खरीद ''कालिम्पोंग'' पश्चिम बंगाल से की गई तथा पौधों के (Transportation) परिवहन हेतु ₹26,500/–व पैकिंग आदि हेतु ₹10,000/–की राशि खर्च की गई है इस प्रकार

पौधों के परिवहन व पैकिंग हेतु ₹36,500/–की राशि खर्च की गई है जो कि पूर्णतया अनुचित एवं अनियमित है क्योंकि यदि स्थानीय नर्सरी अथवा चण्डीगढ़ आदि से पौधों की खरीद की जाती तो उपरोक्त ₹36,500/–के व्यय को कुछ निश्चित सीमा तक बचाया जा सकता था। इस प्रकार पौधों के परिवहन व पैंकिंग पर अनुपयोगी व्यय कर मन्दिर न्यास को ₹36,500/–की हानि पहँचाई गई है, जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 **₹32,400/–का अनुपयोगी व्यय :–**

मन्दिर न्यास, जाखू के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 29.03.2005 को भाषा एवं संस्कृति अकादमी शिमला से 500 भजन कैसेट की खरीद हेतु ₹32,400/–का भुगतान आयुक्त मन्दिर न्यास की स्वीकृति के उपरान्त किया गया है। उक्त कैसेटस की खरीद इन्हें मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेचकर निवेशित धन राशि की उगाही करने के उद्देश्य से की गई थी। मन्दिर न्यास के अभिलेख एवं चर्चा के दौरान बताया गया कि खरीदी गई कैसेटस की बिक्री नहीं हुई है क्योंकि कैसेटस की खरीद के लिए खरीददार नहीं हैं तथा कैसेटस आऊटडेटिड हो चुकी हैं। अतः उपरोक्त खर्च की गई राशि ₹32,400/–पूर्णतया अनुपयोगी प्रतीत होती है परिणामस्वरूप इस खरीद से मन्दिर न्यास को सीधे तौर पर हानि पहुंचाई गई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

12 **₹3600/–रोकड़ बही की आय की ओर (Debit side) से अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से कम करना :–**

श्री हनुमान मन्दिर न्यास, जाखू शिमला के रोकड़ बही के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 17.04.2009 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः 156 पर ₹3600/–आय की तरफ घटाए गए हैं जो कि त्रुटिपूर्ण ही नहीं अपितु अनियमित भी है। अतः बिना कारण रोकड़ बही के शेष से कोई राशि घटाना प्रक्रिया विहीन है तथा सीधे रूप में गबन की ओर संकेत करता है। अतः आय की तरफ से घटाई गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए त्रुटिपूर्ण तरीके से घटाई गई राशि को उचित स्त्रोत से शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 **₹10,000/–के अग्रिम को विलम्ब से समायोजन करना** :–

श्री हनुमान मन्दिर न्यास, जाखू के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 20.09.2004 को चैक संख्याः 301584 (रोकड़ बही पृष्ठ–13 अनुसार) ₹10,000/–मन्दिर अधिकारी एवं कोषाधिकारी को बतौर अग्रिम, दशहरे के आयोजन हेतु स्वीकृत एवं भुगतान किया गया था जिसका समायोजन माह 09/2005 को किया गया है समायोजन बिल में निम्न आपत्तियाँ आपेक्षित/दर्ज की गई :–

(क) अग्रिम राशि ₹10,000/–का समायोजन एक वर्ष बाद किया गया जबकि नियमानुसार समायोजन एक माह के भीतर किया जाना आपेक्षित था।

(ख) प्रस्तुत किए गए बिल/वाऊचर ₹6666/–को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो सत्यापित किया गया हैं तथा न ही पास किए गए हैं जबकि नियमानुसार बिल/वाऊचर संवितरण एवं आहरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य था जिसे या तो सम्बन्धित अधिकारी से नियमानुसार सत्यापित करवाकर पास करवाया जाए या ₹6666/–की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) शेष बची राशि ₹3334/–लगभग एक वर्ष बाद न्यास खाते में जमा करवाई गई है। अतः विलम्ब से जमा करवाई गई राशि पर नियमानुसार दण्ड ब्याज का आंक्लन किया जाना वांछित था। अतः उक्त राशि पर दण्ड ब्याज ₹428/–बनता है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है व इस सन्दर्भ में अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **वर्ष 1987 में किराये पर आबंटित कैन्टीन का किराया न बढ़ाना** :–

मन्दिर न्यास जाखू के अभिलेखों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि न्यास परिक्षेत्र में दो कैन्टीन वर्ष 1987 से किराये पर आबंटित की गई हैं जिसमें से एक कैन्टीन ₹601/–प्रति माह की दर से किराये पर आबंटित की गई है। वर्ष 1987 से लेकन अब तक ₹601/–ही किराया लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार इसकी शर्तें निर्धारित करते हुए किराया बढ़ाया जाना आपेक्षित था। अतः नियमानुसार शर्तें निर्धारित करते हुए कैन्टीन का किराया बढ़ाया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **रोकड़ प्राप्तियों को विलम्ब से बैंक में जमा करवाना** :–

मन्दिर न्यास जाखू के अवधि 01.01.2004 से 31.12.2010 तक के लेखाओं का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीदों से प्राप्त आय को बहुत विलम्ब के बाद बैंक में जमा करवाया गया है जो कि वित्तीय नियमों के विरूध के साथ–साथ अस्थाई दुर्विनियोजन है, निम्नलिखित कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ दिए जा रहे हैं :–

रसीद संख्या/दिनांक	राशि	बैंक मे जमा करवाने की तिथि	शामिल विलम्ब
04 21.10.2007	₹101.00	17.01.2008	4 माह
05 से 07 27.10.2007 27.10.2007	₹1700.00	17.01.2008	4 माह
08 28.10.2007	₹200.00	17.01.2008	4 माह
09 24.10.2007	₹200.00	17.01.2008	4 माह
10 27.11.2007	₹500.00	17.01.2008	3 माह
11 से 29 19.06.2009 से 29.11.2009	₹14,128.00	30.11.09	5 से 6 माह
147 से 180 11.04.2010 से 18.04.2010	₹4,943.00	06.05.2010	25 दिन बाद

उपरोक्त प्राप्त रसीदों से प्राप्त राशि को विलम्ब से बैंक मे जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में रसीदों से प्राप्त राशि को अगले कार्यदिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त प्राप्त राशियों को शब्दों में लिखा जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।

16 **स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना** :–

श्री हनुमान मन्दिर न्यास जाखू के अवधि 01.01.2004 से 31.12.10 तक के स्टॉक पंजिकाओं का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि Durable articles and valuable articles का वर्षवार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा है। प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से स्टॉक रजिस्टर में अंकित आर्टिकलस का वास्तव में होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। जो ट्रस्ट की और से गम्भीर लापरवाही दर्शाता है।

अतः भण्डार रजिस्टर में विद्यमान समस्त मदों का सक्षम अधिकारी द्वारा वर्षानुवर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और कृत कार्रवाई से परिणाम सहित अगले अंकेक्षण में अवगत किया जाए।

17 <u>रोकड़ बही का रख–रखाव</u> :–

रोकड़ बही की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि रोकड़ बहियों अवधि 01.01.2004 से 31.12.2010 में कई जगह कटिंग की गई है तथा जगह–जगह कोरेक्टिंग फ्लयूड (Correcting Fluid) का प्रयोग किया गया है जो कि वित्तीय नियमों के विरूद्ध है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही में कोरेक्टिंग फ्लयूड (Correcting fluid) का प्रयोग न किया जाए अपितु कटिंग का सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उदाहरणार्थ निम्न पृष्ठों पर कोरेक्टिंग फ्लयूड का प्रयोग किया गया है :–

पृष्ठ संख्याः 114, 115, 116, 134, 153, 161, 164, 165, 176, 178, 184 आदि।

18 <u>दान स्वरूप प्राप्त वस्तुओं की रसीद जारी न करने बारे</u> :–

मन्दिर न्यास के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर में दानस्वरूप प्राप्त वस्तुओं की रसीदें जारी नहीं की जा रही थी। जबकि दान स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को सीधे स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया है दान स्वरूप प्राप्त की जा रही वस्तुओं की रसीद जारी न करना एक गम्भीर अनियमितता है तथा बिना रसीद के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई वस्तुओं की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में दान स्वरूप प्राप्त समस्त वस्तुओं की रसीद जारी की जाए व तदोपरान्त उक्त वस्तु का इन्द्राज पूर्ण विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 <u>विभिन्न प्रकार के रजिस्टर नियमानुसार न बनाना</u> :–

मन्दिर न्यास, जाखू के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न प्रकार के रजिस्टर जेसे बिजली बिल भुगतान रजिस्टर, टैलीफोन भुगतान रजिस्टर, अग्रिम भुगतान एवं समायोजन रजिस्टर आदि नहीं बनाऐ गए हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि समस्त प्रकार के आवश्यक रजिस्टर नियमानुसार तैयार किए जाएं ताकि लेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता की सम्भावना न रहे।

20 **<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई है समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया।

21 **<u>निष्कर्ष</u> :–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। आभूषण, सोना व चांदी की मदों का सही रूप में लेखांकन तथा तत्सम्बन्धी स्टॉक रजिस्टर के उचित रख–रखाव की नितान्त आवश्यकता है तथा दुसरी वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर भी नियमानुसार बनाए जाने अपेक्षित हैं व समस्त अभिलेख समय–समय पर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाये जाएें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)209/2000–पार्ट,दिनांक 27.2.2012, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री हनुमान जी मन्दिर जाखू शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीर्घ भेजें।

2. उपायुक्त शिमला जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

3. सचिव (भाषा विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

4. निदेशक भाषा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

(अनूप कुमार घारू)